

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

भुरालाल बनाम हीरालाल

कैस मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 15/2022

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

07/01/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती भुरालाल

~~बिता~~ श्री भुतबन्ना कजोड बलाई

निवासी- ऐराल तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

ऐराल स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 161, 164, 367

370, 372, 376 मी., 874, 875, 878

कुल कीता 9 कुल रकबा 1.52 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम ऐराल स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 161, 164, 367, 370, 372, 376 मी., 874, 875, 878

कुल कीता 9 रकबा 1.52 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000 = 1000 रुपये अक्षरे ए.क. ए.आर. रजिस्टर प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(इनाम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

क/सरिश्ता/प्रा.पत्र 15/2024/16

दिनांक 10/01/22

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : भुरालाल भुतबन्ना फजोड़ बलाई १५० ऐराल प्राची

- खनाम
- 1- हीरालाल ९० भुतबन्ना खाफस १५० शरडीबावडी
 - 2- पप्पूलाल ९० शतबलाल खाफस १५० शरडीबावडी
 - 3- फिशनलाल ९० खन्ना जी केशवा १५० ऐराल
 - 4- भुन्नालाल ९० कुकाराम बलाई १५० ऐराल
 - 5-6 शजाक-जमशेर खात पित्त नजीर खां मुसलमान १५० ऐराल
 - 7 अकेरलाल ९० गणुलाल जाट १५० ऐराल
 - 8- श्रीलाल पित्त कुकाराम बलाई १५० ऐराल
 - 9- रोहित पित्त शतबलाल बलाई १५० ऐराल
 - 10- श्रुणाकुमारी पत्नी कैलाशचन्द्र लौट (हरिजन) १५० सावा
 - 11-12 यतरभुज- अकेरलाल पित्त कुकाराम बलाई १५० ऐराल
 - 13- राजाराम पित्त गोवर्धन बलाई १५० ऐराल
- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट ... शेष नीचे अंकित है

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण मे ग्राम ऐराल खतौनी सं. 196
सम्बत् 2068-2071 मे अकित आराजी नम्बर 161, 164, 367, 370, 372, 376 मी.
874, 875, 878 कुल कित 9 रकबा 15200 है. भूमि की
नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना
पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर
शुल्क रुपये 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपय मात्र प्रार्थी
वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय मे (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

14- अजवानगिरी पित्त देव गिरी १५० ऐराल

15- अदनगिरी पित्त अकेरगिरी १५० ऐराल

(इमाम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

विपक्षीय